

कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश  
• गौतम नगर, भोपाल

क्र./UCR/C/253/2022-23/1446.

भोपाल, दिनांक — 30/09/2022

उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2022

हेतु आवेदकों के लिये निर्देशिका

1/ मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 तथा इस नियम में समय-समय पर किये गये संशोधन (इसे आगे "भर्ती नियम, 2018 उल्लेखित किया गया है) में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल, के द्वारा आयोजित "उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2018" में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। वर्ष 2018 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दिसंबर 2019 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है अथवा नियुक्ति उपरांत पदभार ग्रहण नहीं किया है वे इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यह प्रक्रिया म.प्र. शासन के पत्र क्र. 1616/396/2022/20-1 दिनांक 29.09.2022 के आधार पर की जाएगी।

2/ विषयवार एवं प्रवर्गवार रिक्तियाँ पृथक से प्रदर्शित की जाएंगी।

3/ शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हताएँ :-

भर्ती नियम 2018 के नियम-8 की अनुसूची-तीन के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा-

- (1) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल, के द्वारा आयोजित "उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018" में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाये गये अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
- (2) संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड. या उसके समकक्ष।
- (3) संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बी एड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा।
- (4) संबंधित विषय से तात्पर्य शासन पत्र क्र. 1616/396/2022/20-1 दिनांक 29.09.2022 में उल्लेखित विषय से है।

4/ आयु-सीमा

4.1 न्यूनतम आयु- 21 वर्ष

4.2 अधिकतम आयु -

क्र.	आवेदक	अधिकतम आयु	अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43	52

क्र.	आवेदक	अधिकतम आयु	अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम आयु सीमा
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	48	57
3.	पुरुष/महिला (मध्यप्रदेश शासन के निगम, मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	48	—
4.	पुरुष/महिला (मध्यप्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	48	57
5	दिव्यांगजन आवेदकों के लिये	48	57

- 4.3 न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना— दिनांक 1.1.2022 के आधार पर की जावेगी।
- 4.4 मध्यप्रदेश के मूल/स्थानीय निवासी को ही कंडिका 4.2 के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा।
- 4.5 उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश शासन, निगम मण्डल के कर्मचारी हैं, या रह चुके हैं अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार होगी।
- 4.6 ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, की आयु का निर्धारण म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के नियम 8(घ) के अनुसार होगा।
- 4.7 अनुसूचित जाति के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरुस्कार प्राप्त सवर्ण पति/पत्नी के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी।
- 4.8 विक्रम पुरुस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी।
- 4.9 मध्यप्रदेश शासन के शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस का कार्य अनुभव प्राप्त हो, को अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
- 4.10 उक्त के अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आयु संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

#### 5/ आरक्षण

- (1) मध्यप्रदेश लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक-एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19 सितम्बर 2002 द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम,1998 और राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर जारी किये गये आदेश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किये गये हैं।
- (2) रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिये निम्नानुसार क्षैतिजिक (Horizontal) आरक्षण है :-

(एक) महिलाओं के लिये 50% पद।

(दो) भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10%,

(तीन) शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है।

परन्तु अतिथि शिक्षक के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

(3) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा में निम्नानुसार है।

(i) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि।

(ii) बहरे और कम सुनने वाले।

(iii) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मसकुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित हैं।

(iv) बहु विकलांगता उपरोक्तानुसार (i) (ii), और (iii) को सम्मिलित करते हुये।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

दिव्यांग आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-8-2/2013/अ. प्र./1दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार आरक्षण वर्गवार न होकर दिव्यांगों की श्रेणीवार होगा।

6/ अंकसूची/उपाधि (शैक्षणिक एवं व्यावसायिक) मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा।

7/ आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्यप्रदेश के मूल/स्थानीय निवासियों को ही देय होगी।

8/ परिवीक्षा एवं वेतन:-

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना दिनांक 24.12.2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा।

9/ निरर्हताएं :-

(1) यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो।

(2) यदि उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण बर्खास्त किया गया है।

(3) कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक, अधमता, अर्न्तग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो, वहां ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति, आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(4) यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में, यदि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है।

(5) यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो तो जब तक उसने अपने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न

कर लिया हो और उसने नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय यह अनापत्ति अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया हो।

- (6) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं होगा।

- (7) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, शासन द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जा सकेगा।
- (8) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- (9) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एवं समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हता अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगी।

- 10/ योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया- यह प्रक्रिया विभाग के पत्र क्र. 1616/396/2022/20-1 दिनांक 29.09.2022 में विहित प्रावधानों के अनुसार होगी, जिसमें पात्रता परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाये जायेंगे।

- 11/ अधिनियम/नियम/निर्देश/विभिन्न अधिसूचनाओं तथा इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाये जाने की स्थिति में मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/ निर्देश ही मान्य होंगे।

- 12/ अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाईन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम/नियम तथा अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें। अभिलेखों का विवरण एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल <https://trc.mponline.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

- 13/ प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee)

अन्य अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु. 200/-
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन के लिए।	रु. 150/-

यह शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

- 14/ अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा/समस्या के समाधान के लिये MPOonline के Call Centre 0755.6720200 पर समय प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक सम्पर्क करना होगा।

- 15/ भर्ती प्रक्रिया के चरण-

- (15.1) पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) अभ्यर्थियों की श्रेणी में आते हैं, वे अपनी प्रविष्टि एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर करेंगे। अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग में आते हैं (जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 75 अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं) वे स्वयं को इस प्रवर्ग में पंजीकृत कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पात्रता परीक्षा 2018 के आधार पर नियुक्ति नहीं हुई है अथवा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वे भी प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। 30.12.2019 को जारी विज्ञापन के आधार पर प्रावधिक चयन/परीक्षा सूची के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं उन्हें भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड

करने होंगे। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोड किए जायेंगे, उनकी मेरिट के आधार पर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची/चयन सूची तैयार की जाएगी। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे।

- (15.2) उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा 2018 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी पात्रता परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में कटेगरी रैंक जनरेट की गई है अतः इसी रैंक के आधार पर अतिथि हेतु आरक्षित पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी।
- (15.3) एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल पर प्रकाशित रिक्तियों के आधार पर पैरा क्र. 15.1 अनुसार दस्तावेज अपलोड करने वाले अभ्यर्थियों में से, उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड की जाएगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा।
- (15.4) दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त, लोक शिक्षण का होगा।
- (15.5) तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 2 सेट साथ लाने होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाईन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाईन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (15.6) दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों में से प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी।
- (15.7) अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना संबंधी विकल्प च्वाइस फिलिंग भरनी होगी। जनजातिय कार्य विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को रिक्तियाँ संयुक्त काउंसलिंग हेतु दिए जाने की स्थिति में पदस्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातिय कार्यविभाग दोनों की शालाएं सम्मिलित होंगी। स्कूल के आगे (TWD) अथवा (SED) लिखा होगा। अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है किन्तु मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें अन्यथा मेरिट एवं जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियों के क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। सिर्फ च्वाइस फिलिंग के आधार पर अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार ही पदस्थापना दी जाए।

16/ प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा के दौरान अथवा पूर्व विज्ञापन के क्रम में जिन अभ्यर्थियों ने अपने उपरोक्त दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए हैं उन्हें भी नये सिरे से समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

17/ महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां :-

क्र	विवरण	उच्च माध्यमिक शिक्षक
1	स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापित का प्रकाशन	30.9.2022
2	अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन (सिर्फ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) एवं सभी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोड करना	30.9.2022 से 10.10.2022
3	एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल <a href="https://trc.mponline.gov.in">https://trc.mponline.gov.in</a> पर निर्देशिका/सुसंगत नियम, अधिनियम तथा निर्देशों को अपलोड करना।	3.10.2022
4	एम.पी. ऑनलाईन द्वारा रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची अपलोड करना।	अक्टूबर 2022
5	जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन -दस्तावेज सत्यापन सूची के आधार पर सत्यापन कराना	नवंबर 2022
6	दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता के आधार पर चयन सूची का प्रकाशन	दिसंबर 2022
7	चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना	दिसंबर 2022

विशेष:-उपरोक्त तिथियाँ अनुमानित हैं तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेगी। उपरोक्त तिथियों के अनुसार विवरण का प्रकाशन एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल पर किया जावेगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाईल/दूरभाष क्रमांक पर एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से दी जावेगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस भी <https://trc.mponline.gov.in> पर ऑनलाईन चेक कर सकेंगे।

नोट-1. दिसंबर 2019 में जारी विज्ञापन के आधार पर प्रावधिक सूची में चयनित जिन अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं उन्हें भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

नोट 2. माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुक्रम में अन्य पिछडा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत तक की सीमा में ही नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकेंगे। शेष 13 प्रतिशत पदों के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

नोट 3. जनजातिय कार्य विभाग द्वारा रिक्तियों की संख्या विभाग को सूचित करने की स्थिति में जनजातिय कार्य विभाग के रिक्त पदों को भी काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(अभय वर्मा)

आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश